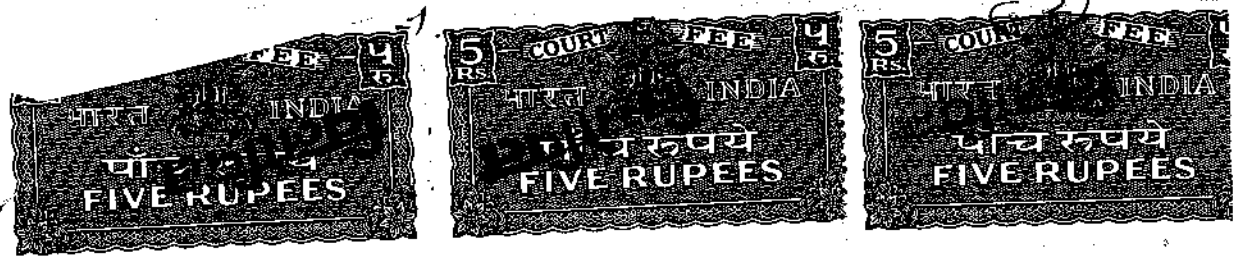

FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

CF 15L

न्यायालय :- श्रीमान् राजस्व मण्डल म॰प्र॰ ग्वालियर

प्र॰क्र॰आर……६८/05

K 1752-II/05

श्री ……… द्वारा आज दि॰ 14.10.05 को प्रस्तुत।

CF 11.11.05

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म॰ प्र॰ ग्वालियर

14 OCT 2005

बाबूसिंह पुत्र अम्मनसिंह निवासी ग्राम क्वारीपुरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड म॰प्र॰

--- आवेदक

बनाम

1-महिला मीनादेवी वेवा सिरदारसिंह उर्फ
सिरनाम
2-संजीवसिंह उर्फ शेरसिंह
3-राजीवसिंह पुत्रगण सिरदारसिंह उर्फ सिरनाम
4- रेखा उर्फ रिकी पुत्री सिरदारसिंह उर्फ
सिरनाम ना॰बा॰ व सरपरस्त मां मीनादेवी
निवासी ग्राम क्वारीपुरा तह॰अटेर जिला
भिण्ड -- असल अनावेदक
5- म॰प्र॰शासन द्वारा सुरपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड -- तरतीबीअनावेदक

पेशी 11-11-05

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 12.9.05
न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना
के प्र॰क्र॰ 195/01-02 अपील - निगरानी अन्तर्गत धारा 50
म॰प्र॰भू॰रा॰संहिता 1959

श्रीमानजी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1752–दो/05 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 185/01–02/अपील में पारित आदेश दिनांक 12–8–05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक बाबूसिंह द्वारा विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के ग्राम क्यारीपुरा स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 138/2 रकबा 0.073 हैक्टर के व्यवस्थापन हेतु एक आवेदन पत्र पेश किया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 20.1.88 द्वारा विवादित भूमि का बंटन स्वीकार किया । विचारण न्यायालय ने अपने प्र0क0 173/88–89/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 9–6–89 द्वारा विवादित भूमि में बटान कायम कर दिये जिसमें से 138/1 के रकबा 0.032 हैक्टर आवेदक बाबूसिंह के नाम तथा सर्वे नं. 138/2 ख रकबा 0.041 हैक्टर शासकीय अतिक्रमण है दर्ज की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–12–99 द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार, वृत्त सुरपुरा को वापिस किया । आवेदक बाबूसिंह ने संहिता की धारा 115, 116 के तहत एक आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष इस	

R 1752-05

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आशय का पेश किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बटांकन कायमी का आदेश दिनांक 9.6.89 निरस्त किया है, किंतु विचारण न्यायालय ने व्यवस्थापन ही निरस्त कर दिया है । नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26.12.01 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश से दुखी होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की जिसमें उन्होंने दिनांक 11–4–02 को आदेश पारित करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं आवेदक का व्यवस्थापन यथावत रखे जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोचय आदेश द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार उनकी आपत्ति का निराकरण कर आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एस0डी0ओ0 के आदेश को समझने में भूल की है क्योंकि एस0डी0ओ0 द्वारा तहसील द्वारा पारित वटांकन आदेश को निरस्त कर पुनः वटांकन किए जाने हेतु प्रकरण तहसील को रिमाण्ड किया है किंतु पटवारी कागजात में वटांकन के अमल के साथ व्यवस्थापन आदेश केअमल को भी निरस्त कर दिया इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । उक्त आधार पर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1752–दो/05 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । 5/ अनावेदक कमांक 5 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया है । 6/ आवेदक एवं अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में जिस प्रकरण द्वारा बंटन किया गया है उसमें जो उद्घोषणा है उस पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी ने 31–12–99 के आदेश में जो निर्देश विचारण न्यायालय को दिए थे उसका पालन न करते हुए विचारण न्यायालय ने आवेदक की ओर से संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर अनावेदक जो कि हितबद्ध पक्षकार थे उन्हें बिना पक्षकार बनाए आदेश दिया जाना पाया है और उक्त कारणों से विद्वान अपर आयुक्त ने अनविभागीय अधिकारी तथा तहसील न्यायालय के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार	

(निगरानी)

R 1752 . 11/05

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनकी आपत्तियों का निराकरण कर आदेश पारित करने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता ह । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	